



2026:AHC:171284

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 26606 वर्ष 2026

सुनील

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्ष(गण)

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : महेंद्र सिंह
विपक्ष(गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री ओ.पी. सिंह को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया। प्रारंभ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनादाता को नोटिस की तामील करा दी गई है।
2. वर्तमान जमानत आवेदन अपराध संख्या 74 वर्ष 2026, धारा 137(2), 87, 64(1) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3/4 के अंतर्गत, थाना कुंवरगाँव, जनपद बदायूँ में पंजीकृत मामले में, विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आवेदक को झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी तथा उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से आवेदक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



183 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 17 वर्ष पाई गई है तथा कक्षा आठ के विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष 10 माह पाई गई है और अधिकतम दो वर्ष का लाभ दिए जाने पर पीड़िता बालिग हो जाती है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक 20.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने की प्रार्थना का जोरदार विरोध किया।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रथम सूचनादाता की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है, हालाँकि पीड़िता बरामद हो गई है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी तथा उसने अपनी स्वतंत्र सहमति से आवेदक के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में पीड़िता ने कहा है कि आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया। आगे प्रस्तुत किया गया है कि रेडियोलॉजिकल परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की आयु 17 वर्ष पाई गई है तथा कक्षा आठ के विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र के अनुसार पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष 10 माह पाई गई है और अधिकतम दो वर्ष का लाभ दिए जाने पर पीड़िता बालिग हो जाती है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता ने चिकित्सीय-कानूनी परीक्षण कराने से इनकार कर दिया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा आवेदक 20.05.2026 से जेल में निरुद्ध है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मामले के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए और जेलों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों की भारी लंबितता को दृष्टिगत रखते हुए, साथ ही **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, जो 2025 एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 3038 में प्रकाशित है, के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में दिए गए दिशा-निर्देश, जो 2024 एस.सी.सी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रकाशित हैं, को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

8. आवेदक- **सुनील**, जो उपर्युक्त अपराध में संलिप्त है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए तथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, स्थिति तथा निवास संबंधी प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को दिए गए निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, के अनुपालन में इस आदेश की एक प्रति कारागार अधीक्षक, बदायूं के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

14 अगस्त, 2026

आर.के.एम.

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।